राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(2)वित्त/नियम/2017 **जयपुर, दिनांक : 09 NOV 2022**

परिपत्र

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प. 1(7)वित्त/नियम/2011 दिनांक 21.02.2012 में राज्य कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका (Service Book)/ सेवा विवरणिका (Service Roll)/ में जन्म तिथि अंकन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जिनके अनुसार सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि में किसी भी प्रकार की काट छांट/ संशोधन/परिवर्तन वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना किये जाने पर अविलम्ब उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

उक्त प्रक्रिया में आंशिक परिवर्तन कर यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब न हो इसलिए राज्य कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि में यदि कोई काट छांट/संशोधन/परिवर्तन किया जाना प्रतीत हो तो प्रशासनिक विभाग जन्म तिथि का निर्धारण कर्मचारी की नियुक्ति के समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8A(2) के प्रावधान के अनुसार जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत प्रमाण पत्र यथा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सैकण्डरी / हायर सैकण्डरी प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि तथा जिन पदों पर नियुक्ति की अर्हतायें सैकण्डरी / हायर सैकण्डरी से कम है, उनमें स्कूल द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate) या रजिस्ट्रेशन ऑफ जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म तिथि को प्रशासनिक विभाग द्वारा सही किया जाकर अपने स्तर पर निस्तारण किया जावे।

कर्मचारी की राजकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् जारी किये गये किसी भी प्रकार के जन्म प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई दस्तावेज इस हेतु मान्य नहीं होगें।

उक्त प्रावधान के अनुसार राज्य कर्मचारियों की जन्म तिथि में अनधिकृत परिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रभारी शासन सचिव द्वारा किया जा सकेगा एवं जन्म तिथि में अनधिकृत काट छांट/संशोधन/परिवर्तन के लिए दोषी कर्मचारी के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अन्य प्रकरण प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने अभिमत के साथ वित्त विभाग को निर्णय हेतु प्रस्तुत किए जाएगें।

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेशंनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

9/11/22

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

(RSR 39 /2022)